# कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा का जयपुर में बड़ा प्रदर्शन, हजारों लोग उमड़े

## पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग, पुलिस से झड़प के कारण उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया व अन्य कार्यकर्ताओं को चोटें आईं

**जयपुर।** भाजपा का कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदेशभर से आने वाली जनता की नजरें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को तलाश रही थी। इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री राजे के शामिल नहीं होने की चर्चाएं रहीं। इसके साथ ही प्रदेश भाजपा ऑफिस पर सभा के साथ ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सचिवालय घेराव के लिए कूच किया। स्टेच्यू सर्किल पर पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल कर भाजपा कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। वहीं, उपनेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया जब कार्यकर्ताओं के साथ बेरिकेड्स की तरफ कूच कर रहे थे तो पुलिस प्रशासन ने काफी देर तक वाटर कैनन चलाई और धक्का मुक्की की। लगातार वाटर कैनन चलाने से सतीश पूनिया की आंखों में और सिर में हल्की चोटें आई हैं। इसके साथ ही भाजपा के कई नेताओं की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस के साथ धक्का-मुक्की में आठ कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। एसएमएस अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छह लोगों को छुट्टी दे दी गई जबकि दो कार्यकर्ता विमल अग्रवाल और प्रदीप तिवाड़ी को अस्पताल में भर्ती किया गया है।

सचिवालय घेराव के लिये कूच करने से पहले भाजपा प्रदेश कार्यालय पर एक सभा का आयोजन किया गया।

प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, सांसद राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़, सांसद सुमेधानंद सहित भाजपा के कई बड़े नेताओं ने गिरफ्तारियां दीं।

- जनता में फर्श से अर्श तक पहुंचाने और धोखा देने वाली सरकार को पेटी में बंद करके हमेशा के लिए विदा करने की ताकत होती है : सी.पी.जोशी
- संत विजयदास का आत्मदाह और लाल डायरी जैसे गंभीर मामले कांग्रेस को हमेशा के लिए सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे : अरूण सिंह
- मीरा और पद्मिनी की धरती अब दुष्कर्मियों को मर्द कहने वाले नेताओं को नहीं सहेगी : राजेन्द्र राठौड़

प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना, इस मुगलिया सलतनत में है। उन्होंने कहा जनता जनार्दन अपने वोट की ताकत से किसी को फर्श से अर्श तक पहुंचाती है तो सत्ता में आने के बाद जनता से धोखा करने वाली सरकार को वोट की पेटी में बंद करके हमेशा हमेशा के लिए ताला लगाने की ताकत भी है इस जनता जनार्दन में है। सामने उमड़ा जन सैलाब बता रहा है इस तुष्टिकरण करने वाली, युवाओं को धोखा देने वाली, पेपर लीक करने वाली, किसानों के साथ वादाखिलाफी करने वाली, नारी की सुरक्षा करने वाली, पेट्रोल डीजल बिजली पर महंगाई को समाप्त ना कर सकने वाली महाभ्रष्ट कांग्रेस सरकार की विदाई तय है। पेपर लीक पर सरकार फेल हो गई इस तमाम घटनाक्रम के बाद भी आपने उस मंत्री को पद से नहीं हटाया। लेकिन लाल डायरी में ऐसा क्या है, कि इसका नाम आते ही आपने उस मंत्री को पद से हटा दिया। आखिर लाल डायरी का सच क्या है, इसका जवाब जनता मांग रही है।

प्रदेश प्रभारी एवं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरूण सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेशभर से जनविरोधी गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर सचिवालय का महाघेराव करने जनता आज जयपुर पहुंची है। आज का महाघेराव अपने आप में ऐतिहासिक है। प्रदेश में अपराध बेलगाम है पडौस के राज्यों से अपराधी राजस्थान में घुसकर फिरौती, फायरिंग और सुपारी किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। संत विजयदास का आत्मदाह हो या लाल डायरी ये सभी कांग्रेस को हमेशा के लिए सत्ता से उखाड़ फेकेगी। प्रशासन की ओर से जगह-जगह बसों को रोका जा रहा है, लेकिन जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश है।

नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड ने कहा कि लाल डायरी सरकार को ललकारने के लिए आक्रोशित जनता बडी संख्या में सचिवालय घेराव के लिए जयपुर पहुंची है। सरकार को चेताते हुए कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मीरा और पद्मिनी की धरती अब दुष्कर्म नहीं सहेगी, मर्दों का प्रदेश कहने वाले बेशर्म नेताओं को नहीं सहेगी। लाल डायरी से घबराई सरकार को पता है कि उनके सामने उनके ही मंत्री ने आरोप लगाए हैं कि इस डायरी में पांच हजार करोड़ के भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा है। सरकार के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त गोपाल केसावत 18 लाख की रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं।

जनसभा में डॉ. पूनिया ने कहा कि भाजपा का आज का यह आगाज राजस्थान के इतिहास में अंजाम तक जाएगा, कार्यकर्ताओं के मजबूत इरादे, आपकी ताकत, आपकी संख्या और आपका जज्बा आज इस बात को निश्चित रूप से तय करेगा कि राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में यह कांग्रेस का विदाई समारोह होगा। अशोक गहलोत की सरकार में ही यह संभव है कि अस्पताल में मरीजों के पैर चूहे कुतर जाते हैं। कांग्रेस की सरकार माफियाओं की सरकार है, यह राजनीतिक माफिया है, शिक्षा माफिया है, पर्यटन माफिया है, यह भूमाफिया है, यह शराब माफिया है, यह खनन माफिया है, यह अपराध माफिया है, यह किसान विरोधी माफिया है,यह पेपर लीक माफिया है, ऐसी सरकार की विदाई आज ही लिख दी जाए।केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पैर में एक कील क्या लगी, पट्टा बांधकर सो गए। धोखा देकर सत्ता में आई इस सरकार को अब राजस्थान नहीं सहेगा। कहा कि काल के कपाल पर लिखा हम मिटाएंगे, भ्रष्टाचारियों से राज्य को मुक्ति दिलाएंगे। आज की सभा से आप सभी संकल्प लेकर अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और चुनावों की तैयारी में जुटेंगे।

### बाइक रैली, ट्रैक्टर रैली के रूप में पहुंचे लोग

"नहीं सहेगा राजस्थान" अभियान के तहत जयपुर महाघेराव में प्रदेश की अराजक, भ्रष्ट, महिला, किसान और युवा विरोधी गहलोत सरकार को घेरने प्रदेश के कौने-कौने से लाखों की संख्या में आक्रोशित जनता जयपुर पहुंची। इस दौरान हाथों में स्लोगन लिखे हुए तख्तियां और बैनर थे जिन पर बहन-बेटियों का अपमान, कर्ज से मरता किसान, अपराध बेलगाम, पेपर लीक से युवा परेशान अब नहीं सहेगा राजस्थान लिखा था। भारत माता की जय के नारों के साथ बाईक रैली, ट्रैक्टर रैली और बसों से लाखों की संख्या में लोग प्रदेश भाजपा कार्यालय के बाहर सभास्थल पर पहुंचे। जहां भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने सभा को संबोधित किया।

### भाजपा कार्यालय में घायल कार्यकर्ताओं को नहीं घुसने दिया

भाजपा के इस प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यालय के सामने ही सभा का आयोजन किया गया लेकिन भाजपा के दूरदराज से आए हुए कार्यकर्ताओं को भाजपा कार्यालय में नहीं घुसने दिया जिससे कार्यकर्ता नाराज दिखे। हालांकि कार्यकर्ताओं का कहना यह भी है कि हम दूरदराज से आए हैं तो भाजपा कार्यालय देखकर जाएं लेकिन ऐसा अवसर नहीं मिला। वहीं भाजपा कार्यालय में घुसने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को काफी मशक्कत की एवं धक्कामुखी करनी पड़ी फिर भी उन्हें बाउंसरों के द्वारा अंदर नहीं घुसने दिया गया। वही भाजपा कार्यालय के मुख्य गेट पर खड़े बाउंसरों ने प्रदर्शन में घायल महिला कार्यकर्ताओं को भी घुसने नहीं दिया लेकिन बाद में भाजपा नेताओं के कहने पर उन्हें अंदर लिया गया।

### पुलिस ने नहीं किया पृथ्वीराज रोड को पूरा बंद

भाजपा के प्रदर्शन के दौरान चोमू हाउस सर्किल से भाजपा कार्यकर्ताओं का कूच किया तब स्टेच्यूसर्किल की तरह निकला तब स्टैचू सर्किल पर तो पुलिस के द्वारा बंद कर रखा था लेकिन गलियों से निकलने वाले वाहनों को पुलिस ने बंद नहीं किया। जिससे एक तरफ वाहन चलते रहे और दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ता चलते नजर आए।

### भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में पोस्टरों की रही चर्चा

भाजपा के इस विशाल प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में पोस्टर बैनरों की चर्चा बनी रही चौमूं हाउस सर्किल एवं बगड़िया भवन रास्ते पर लगे होर्डिंग्स के पोस्टर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का फोटो गायब रहा हालांकि भाजपा कार्यालय पर लगे पोस्टर में राजे का फोटो हैं लेकिन इन होर्डिंग्स पर लगे पोस्टरों से राजे का फोटो गायब होने की चर्चा बनी रही। इस पोस्टर में एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ व दूसरी और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का फ़ोटो है। वहीं पोस्टर में ऊपर की तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीच मे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का फ़ोटो लगा हुआ है।

### प्रदर्शन के दौरान ये नेता रहे उपस्थित

उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनियां, राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सांसद मनोज राजौरिया, सुमेधानन्द सरस्वती, रामचरण बोहरा, रंजीता कोली, सांसद कनकमल कटारा, सुखबीर जौनापुरिया, विधायक वासुदेव देवनानी, अर्जुनलाल मीणा, सांसद राजेन्द्र गहलोत, सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर जौनपुरिया, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, अरूण चतुर्वेदी, जवाहर सिह बेड़म, प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा, विधायक वासुदेव देवनानी, कोली, विधायक अनिता भदेल, दिप्ती माहेश्वरी, शोभा चौहान, चंद्रकांता मेघवाल, कल्पना देवी, प्रदेश उपाध्यक्ष जितेन्द्र गोठवाल, प्रभूलाल सैनी, बाबा बालक नाथ, सीआर चौधरी, श्रवण सिंह बगड़ी, संतोष अहलावत, युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अंकित चेची, महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. रक्षा भंडारी और अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हमीद मेवाती, जिला प्रमुख रमा चौपडा, महापौर सौम्या गुर्जर सहित अन्य नेता उपस्थित रहे।

# चोट का बहाना बनाकर पेशी से बचना चाहते थे सीएम : शेखावत

**नई दिल्ली/जयपुर।** केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर मानहानि मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तगड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत ने गहलोत की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 7 अगस्त की पेशी से राहत देने की मांग की थी। ऐसे में अब अशोक गहलोत को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा।

शेखावत ने इस मुद्दे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले महीने अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई थी। अदालत ने गहलोत को 7 अगस्त को पेश होने को कहा था। मुख्यमंत्री की तरफ से इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर की गई। लेकिन आज अदालत ने तमाचा मारते हुए मुख्यमंत्री को राहत देने से इंकार कर दिया। अदालत ने मुख्यमंत्री गहलोत को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पैर में पट्टी 7 अगस्त तक नहीं खुलेगी। मुख्यमंत्री चोट का बहाना बनाकर पेशी से बचना चाहते थे।

# प्रदेश की हजारों खदानों की नीलामी का रास्ता साफ

**जयपुर, (का.सं.)।** सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में प्रदेश की हजारों खदानों की नीलामी का रास्ता साफ करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के 2013 के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें पहले आओ,पहले पाओ की नीति के आधार पर पट्टे जारी करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की नियमों में संशोधन करने की स्वतंत्र शक्ति है और इसमें पेंडिंग आवेदन पत्र आड़े नहीं आते हैं। ऐसे में शीर्ष अदालत को हाईकोर्ट का आदेश रद्द करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस बोपन्ना व एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील मंजूर करते हुए दिया।

राज्य सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट मनीष सिंघवी ने कहा कि प्रशासन नीलामी नीति में बदलाव करने का हकदार है और आवेदकों को इस आधार पर पट्टा प्राप्त करने का कोई निहित अधिकार नहीं है। जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक हित में नीलामी जैसी बेहतर प्रक्रिया विकसित करके निर्णय लिया जाता है, तो सरकारी भूमि पर पट्टे की मांग करने वाले आवेदक का अधिकार, यदि कोई है तो भी स्वत: ही समाप्त हो जाता है। किसी आवेदक को किसी खनिज के लाइसेंस की मांग करने का विशेष अधिकार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसे कानून द्वारा उचित सुविधा न दी जाए। प्रदेश में आजादी के बाद से राजस्थान सरकार एफसीएफएस नीति के आधार पर खनन पट्टे आवंटित कर रही थी। साल 2013 में, राज्य सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए ही नीलामी के आधार पर पट्टा देने की नीति लेकर आई थी। वहीं राज्य सरकार ने पूर्व की नीति के आधार पर पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर पेश किए गए आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया था। वहीं नए संशोधित प्रावधान के जरिए खदानों का आवंटन नीलामी के जरिए करना तय किया। राज्य सरकार की इस नीति को विभिन्न लोगों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की इस नीति के नीलामी के प्रावधान को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।


**आम सूचना** हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री कल्याण रैगर, राजेश कुमार पुत्र नानूराम जाजोरिया, मदनलाल पुत्र लादूराम रैगर, रामकुंवार वर्मा पुत्र श्री नाथूलाल रैगर, निवासीगण केशुपुरा आजाद नगर जयपुर व पप्पू लाल रैगर पुत्र श्री आनन्दीलाल रैगर निवासी मकान नम्बर 131, हनुमान नगर, केशुपुरा, हीरापुरा जयपुर के मध्य एक इकरारनामा दिनांक 23.01.2023 को खसरा नम्बर 176 क्षेत्रफल 1.0900 हैक्टेयर ग्राम पंचायत मांग्यावास, तहसील सांगानेर के बाबत मेरे अभिभाष्यगण के हक व हिस्से तक निष्पादित हुआ था लेकिन पप्पू लाल रैगर द्वारा इकरारनामे की शर्तों का उल्लंघन किया गया तथा इकरारनामे में वर्णित भुगतान की शर्तों की पालना नहीं किये जाने से इकरारनामा दिनांक 23.01.2023 को निरस्त कर दिया गया है जिसके संबंध में पप्पू लाल रैगर को अलग से सूचित कर दिया गया है। इकरारनामा दिनांक 23.01.2023 अस्तित्व में नहीं रहा हैं। इस इकरारनामे के आधार पर अन्य कोई भी व्यक्ति मेरे अभिभाष्यगण की उक्त सम्पत्ति में उनके हक एवं हिस्से के संबंध में कोई संव्यवहार नहीं करें, यदि कोई संव्यवहार किया जाता है, तो वह संव्यवहार प्रारंभ से ही मेरे अभिभाष्यगण के प्रति अवैध एवं शून्य प्रभावी होगा। सूचित रहे।

(रूस्तम शेख) एडवोकेट, मो. 9414248148

**आम सूचना** दि. 01.08.2023

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य नरेंद्र कुमार मेहता पुत्र स्व. श्री केसरी सिंह मेहता, निवासी एल 4 ए, कृष्णा मार्ग सी- स्कीम, जयपुर के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 3849, 3850, 3854, 3855/2, 3856/3, 3858, 3860, 3873, 3875, 3876, 3877 कुल किता 14 कुल रकबा 5.14 हैक्टयर ग्राम खो- नागोरियान तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। इस भूमि पर नागरिक गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा आवासीय आवंटन पत्र जारी कर दिए गए है तथा केसर वाटिका के नाम से कॉलोनी काट दी गई है। और मेरे अभिभाष्य की बिना सहमति के 25 प्रतिशत व्यक्तियों ने रिहायशी मकान बना लिए हैं और कई व्यक्तियों ने इस जमीन बाउंड्रीवॉल और तारबन्दी कर ली है। मेरे अभिभाष्य के द्वारा उक्त जमीन को किसी प्रकार की सोसायटी कम्पनी व प्लॉट होल्डरों को बेचान नहीं किया है। उक्त जमीन आज भी मेरे अभिभाष्य के स्वामित्व की जमीन राजस्व रिकॉर्ड (जमाबन्दी) में दर्ज है। इन प्लॉट होल्डरों ने एक फर्जी विकास समिति बनाकर मेरे अभिभाष्य की जमीन को खुर्द- बुर्द कर रहे हैं। इसलिए इस विकास समिति के पदाधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। इसलिए मेरे अभिभाष्य के द्वारा न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-17 जयपुर महा. सांगानेर प्रथम कोर्ट स्टे यथास्थिति का दिनांक 23.01.2022 को ले लिया है। जो स्टे अभी भी कायम है। जिसकी सूचना प्लॉट होल्डरो व सोसायटी व जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. व रजिस्ट्रार कार्यालय को दे दी गई जिसके जवाब में विद्युत वितरण निगम लि. के एडवोकेट ने कहा कि आज के बाद हम लाईट का कनेक्शन कोई जारी नहीं करेंगे इसके बावजूद भी 25-30 प्लॉट होल्डरो के लाईट के कनेक्शन जारी किये गये हैं जो गैर कानूनी है और इसे निरस्त माना जाये और विद्युत निगम लिमिटेड ENA व GNA व सब रजिस्ट्रार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी सोसायटी के द्वारा जो प्लॉट होल्डरों के पट्टे ट्रान्सफर किये गये हैं और रजिस्ट्रार कार्यालय से जिन्होंने रजिस्ट्री कराई है और प्लॉट होल्डरों ने स्टे के दौरान मकान व बाउंड्रीवॉल बनाई है यह सब गैर कानूनी है इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी और हर्जे खर्चे के स्वयं जिम्मेदार होंगे मैं भावना साधनानी (एडवोकेट) दि. 28.07.2023 को जमीन केसर वाटिका पर पहुंची तब मैंने देखा काफी प्लॉट होल्डरों का निर्माण कार्य चल रहा है उसके बाद मैंने 100 नम्बर पर PCR व पुलिस को सूचना देने के बाद निर्माण कार्य रुकवा दिया गया अब अगर कोई निर्माण कार्य करेगा वह सब गैर कानूनी होगा इन प्लॉट होल्डरों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सूचित रहे।

भवदीया

भावना साधनानी एडवोकेट, मो. 8239333387

**खोया पाया**

मेरे मकान संख्या 123/328 न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर का मूल अलॉटमेंट कम पजेशन लेटर कहीं गुम हो गया है, कृपया मिलने पर सूचित करें। नीतू दयाल-9829046948

मेरे प्लॉट नं. 67/106-डी, सेक्टर-6, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर के कागजात मूल आवंटन पत्र खो गया। मिलने पर सूचित करें-9983959537

मेरे भूखण्ड सं. 19, राजेंद्र नगर, सिरसी रोड, जयपुर का मूल आवंटन पत्र, साइट प्लान एवं हिस्सा रशीद कहीं गुम हो गये है मिलने पर सूचित करें- विमला देवी केजरीवाल 9310570091

मेरा मकान सं. 174/144 प्रताप नगर सांगानेर जयपुर का मूल अदेय प्रमाण पत्र गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करें- 9001847464

**नाम परिवर्तन**

मैंने मेरा नाम अर्जुन से बदल कर अनुराग मंगलानी कर लिया है। मुझे भविष्य में इसी नाम से जाना व पहचाना जाए। अनुराग मंगलानी पुत्र श्री हेमनदास मंगलानी निवासी 69, गणेश नगर, मुरलीपुरा, जयपुर

मेरी दसवीं/बारहवीं की मार्कशीट में मेरा नाम कुमारी चूकी सोनी दर्ज है, मैंने अपना नाम कुमारी चूकी सोनी से बदलकर चन्द्रकान्ता पुत्री हनुमान सोनी पत्नी श्री दिलीप कुमार सोनी नाम रख लिया है। निवासी गांधी नगर, किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान एवं हाल निवासी फ्लैट 802, टावर-4, रंगोली ग्रीन, महाराणा प्रताप रोड, जयपुर

I have changed my name from Nirmala Lalwani to Divya Gyanchandani W/o Suresh Gyanchandani R/o 5-Ta-22, Jawahar Nagar, Jaipur-302004 for all future purpose

**आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित यिका जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स ओम अम्बिका स्टोन क्रेशर कम्पनी पता-भुसावर रोड खेडला बुर्जुग तहसील-महवा, जिला दौसा (राज.) पंजीयन संख्या 28/13/2017 के भागीदार नरेश कुमार शर्मा सरोलिया पुत्र श्री हनुमान प्रसाद एवं चेतन कुमार दीक्षित पुत्र श्री नरेश कुमार शर्मा सरोलिया को सेवानिवृत किया गया है। अब फर्म में चार (4) साक्षीदार (1) जगदीश सिंह पुत्र श्री श्योसिंह (2) राजबहादुर पुत्र श्री श्योसिंह (3) समयकौर पत्नि खुशीराम (4) पूजा शर्मा पत्नि चेतन कुमार दीक्षित रहेगें सूचित रहे। यदि किसी को आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जिला उद्योग एवं वाणिज्यकेन्द्र, दौसा में आपत्ति दर्ज करावें।

**मैसर्स-ओम अम्बिका स्टोन क्रेशर कं.**

**आम सूचना**

**न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि. दूदू जिला जयपुर (राज.)**

**आम जनता सेवा बनाम श्रवण वगैरह वाद स्थायी निषेधाज्ञा वाद संख्या 74/2023**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वादीगण ने इस न्यायालय में जरिये प्रतिनिधित्व वाद उनवानी आम जनता सेवा बनाम श्रवण वगैरह मुकदमा नम्बर 74/2023 बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है। उक्त प्रकरण में जिस किसी भी व्यक्ति का हित निहित हो एवं सम्बन्ध रखता हो तो वह व्यक्ति दिनांक 03.08.2023 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर अपना पक्ष पेश करें अन्यथा प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही कर दी जावेगी।

यह आज दिनांक 01.08.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।

(रचना बालोत) सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट दूदू, जिला जयपुर

मोहर अदालत

**राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-तृतीय**

जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर दूरभाष संख्या-0141-4901853

**आम जाहिर सूचना**

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास/फ्लैट संख्या-10/05 (जी.एफ.) मालवीय नगर, जयपुर क्षेत्रफल 270.60 वर्गमीटर का आवंटन श्री जे.आर. केसवानी पुत्र श्री रामचन्द को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1085 दिनांक 08.10.1986 जारी किया गया था। उनके द्वारा उक्त आवास/फ्लैट के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 22.01.1996 को करवाया गया।

श्री जे.आर. केसवानी की मृत्यु दिनांक 29.06.2012 को हो जाने के कारण श्रीमती रचना तनवानी पत्नी श्री मुकेश तनवानी के द्वारा आवेदन पत्र, के साथ क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, अपंजीकृत, वसीयतनामा की छायाप्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति, एवं वसीयत नामा में अंकित गवाहों का शपथ पत्र, प्रस्तुत कर उक्त आवास/फ्लैट का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास/फ्लैट के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्रीमती रचना तनवानी पत्नी श्री मुकेश तनवानी के पक्ष में उक्त आवास/फ्लैट के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी।

सम्पदा प्रबंधक वृत तृतीय, रा.आ. मण्डल, जयपुर

**उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)**

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 33/23

विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी नीरज कुमार माथुर पुत्र सुरेश चन्द माथुर जाति कायस्थ विवाद स्थान-म.नं. 105/140, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

मृतक म्यूचुअल फण्ड (चल सम्पत्ति) की सम्पत्ति के विषय में।

पेशी दिनांक- 01.09.2023

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम श्रीमती बीना कुमारी माथुर पत्नी सुरेश चन्द माथुर जाति कायस्थ निवासी-म.नं. 105/140 प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 01 माह 09 सन् 2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 21 माह 07 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

आज्ञा से-शारिस्तेदार अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 10, जयपुर महानगर प्रथम न्यायालय सांगानेर

मोहर अदालत



**नवे की बैठक**

मेरी धर्मपत्नी **श्रीमती केसर देवी** का स्वर्गवास 25.7.23 को हो गया है। नवे की बैठक 2.8.23 को सायं 5 से 6 बजे निवास स्थान ए-1/ए, कबीर मार्ग, होटल गैलेक्सी के पीछे, बनीपार्क पर होगी।

**शोकाकुल**- कन्हैयालाल अग्रवाल (पति), स्व. मोहनलाल-शकुन्तला देवी, सत्यनारायण-लक्ष्मी (देवर-देवरानी), गीता देवी-स्व. कुंजबिहारी जी बम्बई (ननद-ननदोई), मनोज कुमार अग्रवाल-रितु (पुत्र-पुत्रवधु), अनिता-राजेश जी सुल्फे वाले (बेटी-जवाई), राजकुमार, दिलीप, अभिषेक, डॉ. अमित (भतीजे), आर्यन, शरद, ध्रुव, पार्थ, दर्श (पौत्र), आयुषी, अन्वेक्षा, आकांक्षा (पौत्री), पूनम, आमअवतार (भांजे), रिजुल, अमन (दोहिते) समस्त ताऊजी वाला परिवार, झोटवाडा। रामा ज्वैलर्स, रूद्राक्ष पेपर

9829011128, 9660000058

**नम्बर मिलाइए 9587884433**

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।


# कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ बहस पर सुनवाई टली

**जयपुर, (का.सं.)।** एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर की हत्या मामले में आरोपियों को 7 अगस्त को पेश होने का निर्देश देते हुए चार्ज बहस पर सुनवाई टाल दी है। वहीं मामले के एक आरोपी मोहम्मद जावेद की जमानत अर्जी पर भी उसी दिन सुनवाई रखी है। जेल प्रशासन की ओर से किन्हीं कारणों से आरोपियों को पेश नहीं किया जा सका। जिस पर कोर्ट ने आगामी सुनवाई पर उन्हें पेश करने को कहा है। वहीं एक अन्य आरोपी फरहाद शेख की ओर से पेश जमानत अर्जी पर अदालत ने 4 अगस्त को सुनवाई रखी है।

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई पर आरोपी जावेद की ओर से कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा था कि वह मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व रियाज अत्तारी को नहीं जानता और ना कोई ऐसा साक्ष्य है, जिसमें इस अपराध में उसकी कोई भी संलग्नता पाई गई हो। इसलिए उसे जमानत दी जाए। इससे पहले कोर्ट ने आरोपियों की अर्जी पर एनआईए को उन्हें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और आरोप पत्र की कॉपी हिंदी में मुहैया कराने का निर्देश दिया था। इस मामले में एनआईए ने दिसंबर 2022 में गौस मोहम्मद व मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत आतंकी गतिविधियों के आरोप में चालान पेश किया था। इसमें एनआईए ने प्रथम दृष्टया मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व मोहम्मद रियाज और पाक निवासी दो आरोपियों सहित अन्य आरोपियों पर हत्या, अन्य धर्म व जाति को अपमानित व क्षित पहुंचाने सहित आतंकी गतिविधियों के संबंध में आरोप माने थे।

# 123 पुलिस अफसरों के तबादले

**जयपुर।** आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर गृह विभाग में लगातार तबादलों का दौर जारी है। इसके चलते मंगलवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 70 और पुलिस उपाधीक्षक स्तर के 53 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशा राम चौधरी को एडिशनल डीसीपी कंट्रोल रूम जयपुर पुलिस कमिश्नरेट, शिल्पा चौधरी व राजेन्द्र कुमार चारण को सीआईडी एसएसबी जयपुर, कमल कुमार जांगिड को सीआईडी सीबी जयपुर, सरिता बड गुर्जर को पुलिस परामर्श व सहायता केन्द्र जयपुर कमिश्नरेट, नरपत सिंह व

- प्रदेश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 70 और पुलिस उपाधीक्षक स्तर के 53 अधिकारियों को बदला गया है।

लालचंद कायल को एसओजी जयपुर, संध्या यादव को नगर निगम ग्रेटर जयपुर, सुमन चौधरी को एडिशन डीसीपी जयपुर पूर्व, दिनेश कुमार को एडिशनल डीसीपी जयपुर उत्तर सैंकेड, रेवंतदान को एडिशनल डीसीपी जयपुर साउथ, विजेन्द्र सिंह भाटी को एडिशनल डीसीपी जयपुर उत्तर प्रथम, ज्ञानप्रकाश नवल को एडि. डीसीपी ट्रेफिक जयपुर नोर्थ, कुशाल सिंह खींची को एडि. डीसीपी इंटेलिजेंस व सुरक्षा पुलिस कमिश्नेट, विपिन शर्मा को एडि. डीसीपी जयपुर साउथ और सरिता सिंह को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजस्थान पुलिस अकादमी के पद पर लगाया है। वहीं पुलिस उपाधीक्षक सुरेन्द्र सिंह को एसीपी रामगंज, संजय शर्मा को एसीपी मालवीय नगर और महेन्द्र कुमार गुप्ता को सीआईडी एसएसबी जयपुर शहर लगाया गया है।


**कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय**

राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर

Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772

क्रमांक-DHC-II/1420 दिनांक-27.07.2023

**जाहिर आम सूचना** सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 76/56 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 57.408 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री जुगल किशोर निगम पुत्र स्व. श्री सतगुरु प्रसाद निगम को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 216 दिनांक 11.04.2000 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 11.04.2000 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 902 दिनांक 16.05.2000 के द्वारा श्री जुगल किशोर निगम पुत्र स्व. श्री सतगुरु प्रसाद निगम के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 07.06.2000 को करवाया गया। तत्पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 557 दिनांक 01.07.2011 के द्वारा श्री अजय निगम पुत्र स्व. श्री जुगल किशोर निगम के नाम मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण कर दिया गया। इसके पश्चात श्री अजय निगम की मृत्यु दिनांक 16.12.2000 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती रचना निगम पत्नी स्व. श्री अजय निगम ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्रीमती रचना निगम पत्नी स्व. श्री अजय निगम के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

**आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड**

**(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित)**

IDFC FIRST Bank

CIN : L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031

फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

**परिशिष्ट-IV [नियम 8 (1)]**

**कब्जा नोटिस**

**(अचल सम्पत्ति का)**

चूंकि अधोहस्ताक्षरकर्ता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित) के प्राधिकृत अधिकारी है अतः वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुर्न निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा उपर्युक्त कथित अधिनियम की धारा 13 (12) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29.03.2023 को एक मांग पत्र कर्जदारों, सह-कर्जदारों एवं जमानतियों 1. देवेन्द्र सिंह, 2. जमीदार उद्योग, 3. प्रभावती देवी, 4. संदीप कलीरवना, 5. सुशीला देवी को जारी किया गया था, जिसमें 21.03.2023 की तिथि को देय, मांग पत्र में उल्लेखित राशी रूपये 52,71,141.24/- (रूपये बावन लाख इकहत्तर हजार एक सौ इकतालीस और पैसे चौबीस मात्र) का भुगतान उपयुक्त नोटिस प्राप्ती के 60 दिन के अन्दर करने को कहा गया था।

चूंकि कर्जदार उक्त राशि को वापस चुकाने में विफल रहे है अतः कर्जदारों एवं जनसाधारण को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 जिसका नोटिस में उल्लेख किया गया है के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने यहां निम्न वर्णित संपत्तियों के आज जुलाई 2023 के 28वें दिन भौतिक रूप से अपने कब्जे/अधिकार में ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों एवं आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे इन सम्पत्तियों का सौदा लेनदेन नहीं करें तथा इस सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से खरीद-बिक्री करने पर उसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित) की प्रभारित शर्तो के अधीन राशी रूपये 52,71,141.24/- (रूपये बावन लाख इकहत्तर हजार एक सौ इकतालीस और पैसे चौबीस मात्र) का भुगतान उस पर प्रभारित ब्याज सहित करना होगा।

कर्जदारों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रतिभूतिकृत सम्पत्तियों को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समयावधि का उल्लेख है।

**अचल सम्पत्तियों का विवरण**

खसरा नं. 864/1 स्थित भूमि के भाग कन्वर्टिड प्लाट के बचे हुए हिस्से का पूरा व प्रत्येक भाग, रकबा 11 बिस्वा, जिसमें से 528 वर्गगज अर्थात 441.46 वर्गमीटर, ग्राम कलवाड, तहसील व जिला जयपुर, राजस्थान-302012 क्षेत्रफल 1056.73 वर्गमीटर और सीमाये है-पूर्व-श्री कन्हैया लाल की भूमि, पश्चिम-रोड 20 फिट चौडी, उत्तर-अन्य भूमि, दक्षिण-लक्ष्मणजी के प्लाट का बचा हुआ भाग

दिनांक- 28 जुलाई 2023

स्थान- जयपुर

ऋण खाता संख्या- 26147927

प्राधिकृत अधिकारी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित)